वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 28.11.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला, दैनिक जागरण आईनेक्स्ट, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 28.11.2024

अवैध निर्माण पर एई ने दर्ज कराया केस

वाराणसी। चौक वार्ड के हड़हा में बिना नक्शा अवैध निर्माण के मामले में मकान मालिक के खिलाफ चौक थाने में केस दर्ज किया गया।

वीडीए के अवर अभियंता रविंद्र प्रकाश ने पुलिस को बताया कि हड़हा में अंचल पटेल की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा था। मकान मालिक की ओर से बिना नक्शा पास कराए भवन का निर्माण किया जा रहा था। जिसके पहले मकान मालिक को नोटिस जारी कर काम बंद करने की हिदायत दी गई थी। बावजूद इसके मौके पर काम किया जा रहा था। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 28.11.2024

बंजारा स्क्वायर में पार्किंग सुविधा न होने पर नोटिस

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने फातमान स्थित बंजारा स्क्वायर का निरीक्षण किया। चेतगंज वार्ड के हबीबपुरा निवासी अब्दुल कलाम ने लॉन और बरात घर का शमन मानचित्र स्वीकृति के लिए पेश किया था। यहां निर्माण, पहुंच मार्ग, अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पार्किंग आदि की जांच की गई। यहां पर्याप्त पार्किंग सुविधा नहीं थी। इस पर वीडीए उपाध्यक्ष ने क्षेत्रीय जोनल अधिकारी को लॉन संचालकों को नोटिस देने का आदेश दिया और तत्काल निर्धारित मानक के अनुसार पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करें। उधर, शिवपुर के सुद्धिपुर स्थित रुद्रा रियल टैक्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वीकृत मानचित्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर स्वीकृत 14 प्लॉटों की मूलभूत सुविधाओं को देखा। यहां पर सड़क, बिजली, पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवर, स्ट्रीट लाइट, ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। ब्यूरो

पार्किंग क्षमता बढ़ाने की नई तकनीक पर जोर : वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बुधवार को सिगरा के अरिहंत कॉम्प्लेक्स में संचालित स्टैक पार्किंग का निरीक्षण किया। इसमें विकासकर्ता ने बताया कि इसकी लागत प्रति यूनिट 1.5 लाख रुपये है। वीडीए उपाध्यक्ष ने ऐसी नवीन तकनीकी को और अधिक बढ़ावा देने पर जोर दिया। वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि दिसंबर में विकासकर्ताओं और वास्तुविदों के साथ स्टैक पार्किंग के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। स्टैक पार्किंग एक बहु-स्तरीय कार पार्किंग प्रणाली है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला–दि0 28.11.2024

गंगा के 200 मीटर दायरे में निजी भवनों की मरम्मत अब हुई आसान

वाराणसी। गंगा नदी तट से 200 मीटर दायरे के निजी भवनों की मरम्मत और पुर्ननिर्माण आसान होगा। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने इससे जुड़े आवेदन का निस्तारण 30 दिन में करने का आदेश दिया है। बुधवार को अपने कार्यालय में बैठक में वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि राजस्व और सिंचाई विभाग के अभिलेखों में दर्ज भवनों की मरम्मत के आवेदनों का निस्तारण नहीं होने से विसंगति बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि गंगा नदी तट से 200 मीटर के दायरे के भवनों की मरम्मत के आवेदन हेल्प डेस्क के अतिरिक्त जोनल कार्यालयों में सीधे जमा कराया जा सकेगा। हेल्प डेस्क पर जमा आवेदनों को तत्काल अगले कार्य दिवस को अनिवार्यतः जोनल कार्यालय को प्राप्त कराया जाएगा। आवेदनों के प्राप्त होने से अंतिम निस्तारण तक पत्रावलियों पर समस्त कार्रवाई संबंधित जोनल कार्यालय की ओर से की जाएगी। पत्रावली में स्वामित्व पुष्टीकरण आख्या वार्ड अवर अभियंता की ओर से आवेदक के उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच की जाएगी। ब्यूरो

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट–दि0 28.11.2024

अवैध निर्माण पर नकेल, 21 पर चला बुलडोजर, 261 सील

i UPDATE

पिछले साल की अपेक्षा 5 गुना ज्यादा कार्रवाई

varanasi@inext.co.in

VARANASI (27 Nov): अवैध निर्माण पर सील की कार्रवाई हो रही है. वीडीए के अधिकारियों ने नक्शा पास न कराए जाने पर एक साल में 261 कार्रवाई की हैं, जो पिछले साल की अपेक्षा पांच गुना अधिक है. हैरान करने वाली बात है कि वीडीए प्रशासन लगातार सभी से अपील कर रहा है कि बिना नक्शा पास कराए भवन का निर्माण करेंगे तो भवन को सील कर दिया जाएगा. इसके बाद भी लोग नहीं मान रहे. इस साल सबसे अधिक सील की कार्रवाई वरुणा पार जोन में की है.

होटल, रियल एस्टेट शामिल

अवैध निर्माण के खिलाफ वीडीए काफी सख्त है. एक साल के अंतराल में 261 से अधिक भवनों के खिलाफ सील की कार्रवाई की. जबकि पिछले साल 57 भवन ही सील किए गए थे. वहीं 21 से अधिक प्लाटों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है. इनमें होटल, कॉमर्शियल प्लाट और रियल एस्टेट के कारोबारी शामिल हैं.

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

अवैध निर्माण व प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ वीडीए ने अभियान चला रखा है. जहां भी अवैध प्लाटिंग की सूचना मिल रही है. टीम तुरंत जाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है. निर्माण के समय अगर नक्शा नहीं मिल रहा है तो सील की कार्रवाई की जा रही है. शहर में कई ऐसे रियल एस्टेट और कॉलोनाइजर्स हैं, जो बिना वीडीए को सूचित किए बगैर ही प्लाटिंग करना शुरू कर दे रहे हैं.

680 को नोटिस

वीडीए ने अवैध निर्माण, प्लाटिंग, नक्शा न कराने के एवज में एक साल के अंतराल में 680 लोगों को नोटिस जारी किया है. इनमें से कई के खिलाफ एक्शन भी लिया जा चुका है.

अवैध प्लाटिंग

2024 में 93 स्थानों से 137 हेक्टेयर

2023 में 60 स्थानों से 56 हेक्टेयर

सील की कार्रवाई

2024 में 261

2023 में 57

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

2024 में 21

2023 में 7

एफआईआर

2024 में 40

2023 में 7

केस 1

जोन-4 वार्ड-भेलूपुर के प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई की. इसके अलावा वीरेंद्र कुमार सिंह मौजा-नेवादा, एक्सिस बैंक, सुंदरपुर आराजी संख्या-269/2, वार्ड-नरिया में (बी+जी+2 तल) तृतीय तल पर बिना स्वीकृति कराये निर्माण कार्य कर रहे थे. टीम ने जब नक्शा मांगा तो मौके पर नक्शा नहीं दिखा पाए. इसके बाद वीडीए ने सील कर दिया.

केस 2

जोन-4 के अंतर्गत प्रदीप यादव गंगा नदी के 200 मीटर के अंदर वार्ड-नगवा में लगभग 387 वर्गमीटर में निर्माण कार्य करा रहे थे. सूचना पर पहुंची वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम ने पहले पूरे भवन का निरीक्षण किया तो पता चला कि बिना नक्शा पास कराए ही निर्माण कार्य हो रहा था. इस पर अफसरों ने सील की कार्रवाई की.

केस 3

शिवपुर में मां चन्द्रिका नगर कॉलोनी में लालचन्द्र बिना नक्शे के अपने भवन का 6 प्लस 3 का निर्माण कर रहे थे. भवन में पिलर खड़ा कर दिया गया था. शटरिंग का कार्य चल रहा था. नक्शा न होने पर वीडीए द्वारा नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत नोटिस की कार्रवाई की गई. निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 6+3 में निर्माण कर बेसमेंट पर पिलर खड़ा करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर दिया गया.

सील की कार्रवाई

जोन-4 के अंतर्गत सत्यदेव कुशवाहा द्वारा मोहल्ला - विशम्भरपुर, सोनारपुरा वार्ड-भेलूपुर में लगभग 30 गुणे 35 वर्गफीट में अवैध निर्माण सील किया गया.

जोन-4 में बोर्डी पदाकर भवन बाबतपुर, सोनारपुरा, वार्ड- भेलूपुर में लगभग 600 वर्ग फीट में अवैध निर्माण सील किया गया.

वार्ड- शिवपुर, थाना- बड़ागांव के अंतर्गत चतुर्भुज सिंह प्लाटिंगकर्ता ने मौजा-कोइराजपुर में लगभग 2 बीघा में अवैध प्लाटिंग को प्रवर्तन टीम ने ध्वस्त किया.

जोन-4 में असलम द्वारा रविन्द्रपुरी कॉलोनी लेन नं. 5, वार्ड-भेलूपुर में अवैध निर्माण सील किया गया.

जोन-4 में कुलदीप पांडेय असोसिएट, वार्ड-भेलूपुर में लगभग 2400 वर्गफीट के क्षेत्रफल में टीनशेड कर 10 दुकानों का निर्माण कार्य किये जाने पर सील की कार्रवाई की गई.

"वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें. मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलकित गर्ग, वीडीए वीसी

हिन्दुस्तान–दि0 28.11.2024

वीडीए में हुई बैठक में उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने दिया निर्देश

गंगा किनारे मरम्मत की अनुमति 30 दिनों में

सहूलियत

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। गंगा के 200 मीटर दायरे में स्थित मकानों की मरम्मत के लिए अब भवनस्वामी जोनल कार्यालयों में भी आवेदन दे सकेंगे। जोनल कार्यालयों को 30 दिनों में इनका निस्तारण करना होगा। यह निर्देश बुधवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने मुख्यालय में हुई बैठक में दिया।

गंगा किनारे के 200 मीटर में बड़ी संख्या में प्राचीन भवन हैं जिनकी तत्काल मरम्मत की जरूरत महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए वर्तमान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल तथा तय समय में पूरा कराने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

इस दायरे में आने वाले भवनस्वामी मरम्मत या पुनर्निर्माण के आवेदन हेल्पडेस्क के अलावा अपने जोन के कार्यालयों में सीधे जमा कर सकते हैं। वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि वीडीए मुख्यालय में हेल्पडेस्क पर जमा होने वाले आवेदनों को अगले दिन (कार्य दिवस) अनिवार्य रूप से जोन कार्यालयों को पहुंचाना होगा।

उन्होंने कहा कि जेई की जिम्मेदारी होगी कि वह स्वामित्व की पुष्टि करके भवनस्वामियों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट भेजे। हालांकि कुछ परिस्थितियों में जेई जोनल अधिकारी तथा नगर नियोजक से अनुमति लेकर संबंधित विभाग को भेजेंगे। इसके बाद जोनल अधिकारी भवन का निरीक्षण करके रिपोर्ट देंगे। वीडीए प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 23 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 19 आवेदन स्वीकृत हुए हैं।

जोनल कार्यालयों में भी भवनस्वामी करेंगे आवेदन

23 भवनों की मरम्मत को वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिली अनुमति

19 आवेदनों पर इस वर्ष अब तक मिल चुकी है मंजूरी

इनके लिए अनुमति जरूरी नहीं

- दीवारों पर सीमेंट, प्लास्टर करना या प्लास्टर की आंशिक मरम्मत
- फिर से फर्श का निर्माण करना, सफेदी एवं रंगाई-पुताई कराना
- सेप्टिक टैंक, सोक पिट का निर्माण, हैण्डपम्प लगाना
- सौर ऊर्जा के लिए छत पर जरूरी निर्माण

यहां मंजूरी जरूरी

- निर्मित भवन को गिराकर निर्माण कराना
- छत, बालकनी, बरामदे में फिर से निर्माण
- वास्तु दोष के निराकरण के लिए भवन के अंदर निर्माण कार्य आदि।

शहर में बहुस्तरीय कार पार्किंग पर जोर

वाराणसी। वीडीए प्रशासन शहर में बहुस्तरीय कार पार्किंग बनाने की तैयारी कर रहा है। बुधवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सिगरा स्थित अरिहंत कॉम्प्लेक्स में शहर की पहली बहुस्तरीय कार पार्किंग का निरीक्षण किया। उन्होंने आर्किटेक्ट आरसी जैन से इसकी खासियत जानी। गर्ग ने कहा कि अस्पतालों, मॉल, सिनेमा हॉल, होटलों, बाजारों में भूमिगत पार्किंग स्थलों की क्षमता में बढ़ोतरी के साथ इस विकल्प को लागू किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 28.11.2024

स्वीकृत कराये गये मानचित्रों के बाबत किया निरीक्षण

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बुधवार को आराजी संख्या 218, 219, 220, 221 एवं 251 वार्ड शिवपुर के अंतर्गत मौजा सुद्धिपुर, परगना शिवपुर स्थित रुद्रा रियल टैक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र में विकास कार्य का निरीक्षण किया गया। मौके पर कुल 14 प्लाट स्वीकृत/विकसित है। निरीक्षण के दौरान स्थल पर सड़क, बिजली, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवर, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, ट्रांसफार्मर एवं अन्य मूलभूत सुविधायें की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान रामचंद्र सहायक अभियंता एवं रुद्रा रियल टैक्स प्राइवेट लिमिटेड के बिल्डर मौके पर उपस्थित थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 28.11.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने किया स्थलीय निरीक्षण

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आराजी संख्या 218, 219, 220, 221 एवं 251 वार्ड शिवपुर के अंतर्गत मौजा सुद्धिपुर, परगना शिवपुर स्थित रुद्रा रियल टैक्स

प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र में विकास कार्य का निरीक्षण किया गया। मौके पर कुल 14 प्लाट स्वीकृत / विकसित है। निरीक्षण के दौरान स्थल पर सड़क, बिजली, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवर, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, ट्रांसफार्मर एवं अन्य मूलभूत सुविधायें की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान श्री रामचंद्र सहायक अभियंता एवं रुद्रा रियल टैक्स प्राइवेट लिमिटेड के बिल्डर मौके पर उपस्थित थे।

न्यायाधीश–दि0 28.11.2024

उपाध्यक्ष वाविप्रा ने किया तलपट मानचित्र में विकास कार्य का निरीक्षण

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा पुलकित गर्ग द्वारा आराजी संख्या 218, 219, 220, 221 एवं 251 वार्ड शिवपुर के अंतर्गत मौजा सुद्धिपुर, परगना शिवपुर स्थित इरुद्रा रियल टैक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र में विकास कार्य का निरीक्षण किया

गया। मौके पर कुल 14 प्लाट स्वीकृत / विकसित है। निरीक्षण के दौरान स्थल पर इसड़क, बिजली, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवर, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, ट्रांसफार्मर एवं अन्य मूलभूत सुविधायें की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान रामचंद्र सहायक अभियंता एवं रुद्रा रियल टैक्स प्राइवेट लिमिटेड के बिल्डर मौके पर उपस्थित थे।